# न्यायालय उपजिलाधिकारी कुण्डा,प्रतापगढ़

वाद संख्या – 91

वीरेन्द्र कालेज ऑफ एजूकेशन द्वारा प्रबन्धक मनोज कुमार पुत्र वीरेन्द्र प्रसाद निवासी मझिलगाँव, परगना बिहार, तहसील कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ ............ वादी

बनाम

ग्राम सभा मझिलगाँव ............ प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा–143 [illegible]
भूमि स्थित ग्राम मझिलगाँव, प0 बिहार
तहसील कुण्डा, जनपद–प्रतापगढ़।

## निर्णय

पत्रावली पर संलग्न प्रार्थना पत्र वीरेन्द्र कालेज ऑफ एजूकेशन द्वारा प्रबन्धक मनोज कुमार पुत्र वीरेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम मझिलगाँव, परगना बिहार, तहसील कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा ग्राम मझिलगाँव, परगना बिहार, तहसील कुण्डा का गाटा संख्या 13[illegible]9 रकबा 0.501हे0 भूमि को वादी द्वारा अभिलेख मे अकृषिक दर्ज कराने का अनुरोध किया गया है।

उक्त की जाँच तहसीलदार कुण्डा से कराई गयी। तहसीलदार कुण्डा की जाँच आख्या दिनांकित 6.6.2015 संलग्न पत्रावली है। जाँच आख्या मे उल्लेख किया है कि ग्राम मझिलगाँव परगना बिहार तहसील कुण्डा की गाटा संख्या 13[illegible]9 रकबा 0.501हे0 भूमि वादी के नाम श्रेणी–1(क) संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नही किया जाता है तथा उक्त संस्था का भवन निर्माणाधीन स्थिति मे है। जाँच से स्पष्ट है कि दी गयी चौहद्दी मे अविवादित रूप से अकृषिक हो चुका है जिसमे वादी कृषि, बागवानी अथवा पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन तथा कुक्कुट पालन है से असम्बद्ध प्रयोजन के लिए प्रयुक्त कर रहा है।

पत्रावली का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। तहसीलदार कुण्डा की आख्या दिनांक 6.6.2015 से सहमत हूँ। प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किये [illegible] कोई विधिक अड़चन नही प्रतीत होती है।

## आदेश

अतः तहसीलदार कुण्डा प्रतापगढ़ की आख्या दिनांक 6.6.2015 स्वीकार करते हुए ग्राम मझिलगाँव, परगना बिहार तहसील कुण्डा की 1389 रकबा 0.501हे0 भूमि को अकृषिक घोषित किया जाता है। किसी अन्यथा उपयोग की स्थिति मे यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक कुण्डा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाए। तदनुसार बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक– 18.6.15

(हस्ताक्षर) 18.6.15

उपजिलाधिकारी,
कुण्डा–प्रतापगढ़।

[illegible] संख्या ........ 2260
[illegible] दिनांक ........ 20.6.15
[illegible] दिनांक ........ 20.[illegible]
[illegible] दिनांक ........ 20.[illegible]

[illegible] 20.6.15